महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या CM-22 / आठ–1–366 / 2021

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
4. **सचिव,**
   रेरा।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
   लखनऊ।
6. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022**

विषयः "आजादी अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र संख्या–1000 / ए.सी.एस. / सी.एम. / 2022, दिनांक 19.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2022 को 'हर घर तिरंगा' अभियान के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में हुयी चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश से अवगत कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'हर–घर तिरंगा' अभियान के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं आवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
25/7/22
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकःयथोक्त।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

D://R/GO 2021

cm-22/आ6-1-2022

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या 1000/एसीएस/सीएम/2022

दिनांक 19 जुलाई, 2022

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 18 जुलाई, 2022 को 'हर घर तिरंगा' अभियान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश

1. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगामी 11 से 17 अगस्त की अवधि को "स्वतंत्रता सप्ताह" के रूप में आयोजित किया जाना है तथा स्वतंत्रता सप्ताह के अन्तर्गत 13 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" का विशेष अभियान आयोजित होगा, जिसमें समरस भाव के साथ हर प्रदेशवासी को सहभाग करना चाहिए।
2. हमारा लक्ष्य हो कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में कम से कम साढ़े चार करोड़ राष्ट्रध्वज फहराए जाएं। सभी आवासों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक-औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों व कार्यालयों पर ध्वजारोहण हो।
3. 'हर घर तिरंगा' राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है तथा हर भारतवासी को इससे जुड़ना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि अपने फहराए तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इसे सोशल मीडिया पर तथा भारत सरकार के https://harghartiranga.com/ पोर्टल पर इसे पोस्ट करें।
4. 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश में स्वतंत्रता सप्ताह, राष्ट्रभक्ति के उत्साह, उमंग व उल्लास के साथ आयोजित किया जाए।
5. सभी अमृत सरोवरों पर झण्डा रोहण के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
6. प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से सहयोग लिया जाए।
7. स्वतंत्रता सप्ताह की अवधि में हर शहीद स्मारक पर प्रत्येक दिन कम से कम आधा घण्टा पुलिस अथवा होमगार्ड के बैण्ड द्वारा राष्ट्र भक्ति गीतों का वादन हो।
8. 'हर घर तिरंगा अभियान' के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एनसीसी/एनएसएस व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं। सभी स्तर के स्कूलों व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि में स्लोगन व निबन्ध प्रतियोगिताएं कराई जाएं। स्वतंत्रता सप्ताह में हर दिन स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकाल कर आयोजन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए।
9. बड़ी संख्या में ध्वज तैयार करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, एमएसएमई/खादी एवं ग्राम उद्योगों, निजी सिलाई केन्द्रों आदि द्वारा सहयोग दिया जा

56509/PS1/82

DS (AKD)

20/7/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

22.7.2022

रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि 31 जुलाई तक राष्ट्रध्वज जनपदों में उपलब्ध हो जाएं।

10. स्वतंत्रता दिवस के दिन शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाए।

11. "हर घर तिरंगा" महायोजन से आम जन को जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता की जाए। लोगों को झण्डे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केन्द्रों, तहसील/ब्लॉक मुख्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और पेट्रोल पम्प/एलपीजी सैन्टरों, जिलों के विकास भवन/नगर निगम/नगर पालिका, अर्बन लोकल बॉडी के कार्यालयों, विकास प्राधिकरणों के कार्यालयों तथा सिविल डिफैन्स आदि पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

12. स्वतंत्रता सप्ताह की अवधि में गांव और शहर में स्वच्छता अभियान चलाकर पार्कों को सजाया जाए।

13. यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रध्वज संशोधित झण्डा संहिता, 2021 के अनुसार ही हों। राष्ट्रध्वज हमारी 'अस्मिता' तथा 'आन बान शान' का प्रतीक है; अतः राष्ट्रध्वज संहिता के अनुरूप ध्वजारोहण में नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। लोगों को इन नियमों के बारे में विधिवत अवगत कराया जाना चाहिए।

(एस.पी.गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या : 1000/ए.सी.एस./सी.एम./2022
लखनऊ दिनांक : 19 जुलाई, 2022

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(एस.पी.गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री